

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

॥ शुद्धि पत्र ॥

संख्या- 12/न0वि0/होलिडिंग-01/2025 2903/न0वि0एवं आ0वि0, पटना दिनांक 16/09/25

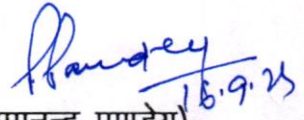
विभागीय अधिसूचना संख्या-2861, दिनांक-10.09.2025 द्वारा गैर आवासीय सम्पत्ति कर के निर्धारण के लिए वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण हेतु बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम 4 को संशोधित किया गया।

2. उक्त अधिसूचना की कंडिका-04 में अंकित अधिसूचना संख्या-5509 में दिनांक-26.09.2023 के स्थान पर भूलवश 20.09.2023 अंकित हो गया है।

3. अतएव अधिसूचना संख्या-2861, दिनांक-10.09.2025 की कंडिका-04 में अंकित अधिसूचना संख्या-5509 के साथ दिनांक-20.09.2023 के स्थान पर दिनांक-26.09.2023 पढ़ा एवं समझा जाए।

4. उक्त अधिसूचना का शेष यथावत् रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

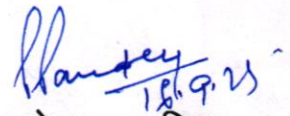

(परमानन्द पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/न0वि0/होलिडिंग-01/2025 2903/न0वि0एवं आ0वि0, पटना दिनांक 16/09/25

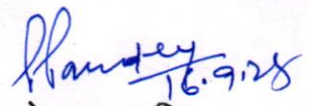
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/न0वि0/होलिडिंग-01/2025 2903/न0वि0एवं आ0वि0, पटना दिनांक 16/09/25

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/ महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/न०वि०/होलिडिंग-01/2025 2203 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना दिनांक 16/09/25

प्रतिलिपि:- मुख्यमंत्री सचिवालय/निबंधन पटना उच्च न्यायालय, पटना/महाधिवक्ता,
बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.9.25

सरकार के अवर सचिव।

22.9.25

22.9.25

22.9.25